महत्वपूर्ण / फैक्स

संख्या– 1335/एक–10–2017–33(72)/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, खीरी, सीतापुर, आजमगढ, मऊ, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, पीलीभीत, बिजनौर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, फर्रूखाबाद।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2017

विषयः बाढ़ से प्रभावित किसानों के भू–राजस्व देयों की वसूली का स्थगन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अप्रत्याशित रूप से बाढ की स्थिति उत्पन्न होने से कृषि योग्य भूमि एवं बोयी हुई फसल पानी में डूब जाने के कारण हुई व्यापक क्षति के दृष्टिगत 22 जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा अपने पृथक–पृथक पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण फसलों की व्यापक क्षति से किसानों की आजीविका अत्यधिक प्रभावित हुई है, वे विषम परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करने के कारण भू–राजस्व अदा करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उनसे भू–राजस्व की वसूली किया जाना उचित नहीं है। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं संस्तुतियों का परीक्षण, उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–157 तथा उ0प्र0 राजस्व नियमावली–2016 के नियम–135 तथा 137 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करने के उपरान्त अपनी संस्तुति पत्र संख्या–शा–202/2–संग्रह–3स/2017 (दैवीय आपदा), दिनांक 30.08.2017 द्वारा निम्नवत उपलब्ध कराई गयी है:–

क्रम संख्या	जनपद	बाढ़ प्रभावित तहसील का नाम	प्रभावित/बाढ़ग्रस्त गांव की संख्या	गांव (जिनका भू राजस्व स्थगित किया जाना है)
1–	गोण्डा	1. तरबगंज 2. करनैलगंज	34 79 योग–113 ग्राम	जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र संख्या–118/सी0आर0ए0(अधि) वसूली स्थ0प्र0–3छूट प्रस्ताव/2017, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
2–	बहराइच	1. महसी 2. मिहीपुरवा 3. कैसरगंज 4. नानपारा	64 65 28 37 योग–194 ग्राम	जिलाधिकारी बहराइच के पत्र संख्या–543/ सी0आर0ए0–3 छूट प्रस्ताव/17, दिनांक 23.08.2017 में उल्लिखित गांव
3–	श्रावरती	1. भिनगा 2. इकौना 3. जमुनहा	59 65 26 योग–150 ग्राम	जिलाधिकारी श्रावस्ती के पत्र संख्या–1889/सी0आर0ए0–3/छूट प्रस्ताव/2017, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
4–	बलरामपुर	1. बलरामपुर 2. उतरौला 3. तुलसीपुर	105 135 59 योग–299 ग्राम	जिलाधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या–112/सी0आर0ए0 (मुख्य देय वसूली–स्थगन)/17, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
5–	खीरी	1. लखीमपुर 2. गोला 3. धौरहरा 4. निघासन 5. पलिया	06 13 32 09 11 योग–71 ग्राम	जिलाधिकारी खीरी के पत्र संख्या–370/111/मुख्य देय छूट प्रस्ताव/सी0आर0ए0, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव
6–	सीतापुर	1. बिसवां 2. महमूदाबाद 3. लहपुर	56 14 09 योग–79 ग्राम	जिलाधिकारी सीतापुर के पत्र संख्या–2066/तीन–सी0एफ0/सी0आर0ए0–छूट प्रस्ताव/17, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव

7–	आजमगढ़	सगड़ी	125 ग्राम	जिलाधिकारी आजमगढ़ के पत्र संख्या–1326/संग्रह, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
8–	मऊ	मधुबन	24 ग्राम	जिलाधिकारी मऊ के पत्र संख्या–233/आपदा–मऊ/17, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
9–	बलिया	1. बांसडीह 2. सिकन्दरपुर 3. बैरिया	12 01 24 योग–37 ग्राम	जिलाधिकारी बलिया के पत्र संख्या–77/सी0आर0ए0–आपदा, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव
10–	गोरखपुर	1. सदर 2. बांसगांव 3. गोला 4. चौरीचौरा 5 कैम्पियरगंज 6. सहजनवां 7. खजनी	96 32 90 70 45 66 56 योग–455 ग्राम	जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र संख्या–298/सी0आर0ए0–17, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव
11–	कुशीनगर	1. खडडा 2. पडरौना 3. तमकुहीराज	30 02 09 योग–41 ग्राम	जिलाधिकारी कुशीनगर के पत्र संख्या–1585/संग्रह–17, दिनांक 29.08.2017 में उल्लिखित गांव
12–	देवरिया	1. सलेमपुर 2. रूद्रपुर 3. बरहज	02 54 09 योग–65 ग्राम	जिलाधिकारी देवरिया के पत्र संख्या–304/आपदा–2017, दिनांक 25.08.2017 में तहसील रूद्रपुर के 46 गांव जिसमें क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई है।
13–	महराजगंज	1. सदर 2. फरेन्दा 3. निचलौल 4. नौतनवां	43 88 102 29 योग–262 ग्राम	जिलाधिकारी महराजगंज के पत्र संख्या–658/सी0आर0ए0–17, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव
14–	फैजाबाद	1. सदर 2. सोहावल 3. रूदौली	10 01 07 योग–18 ग्राम	जिलाधिकारी फैजाबाद के पत्र संख्या–478/सी0आर0ए0–2/17, दिनांक 26.08.2017 में उल्लिखित गांव
15–	बाराबंकी	1. रामनगर 2. रामसनेहीघाट 3. सिंगरौली गौसपुर	28 28 03 योग–59 ग्राम	जिलाधिकारी बाराबंकी के पत्र संख्या–516/मु0रा0ले0–चतुर्थ, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव
16	अम्बेडकर नगर	1.टाण्डा 2.आलापुर	33 02 योग–35 ग्राम	जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर के पत्र संख्या–2520/ मु. रा0ले0/माल गुजारी–वसूली/2017, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
17–	पीलीभीत	1. पूरनपुर 2. अमरिया 3. कलीनगर	03 05 01 योग–9 ग्राम	जिलाधिकारी पीलीभीत के पत्र संख्या–72/मु0रा0ले0–17, दिनांक 26.08.2017 में उल्लिखित गांव
18–	बदायूँ	1.सहसवान 2.दातागंज	05 53 योग–58 ग्राम	जिलाधिकारी बदायूँ के पत्र संख्या–950/3–संग्रह, दिनांक 26.08.2017 में उल्लिखित गांव
19–	बस्ती	1. बस्ती सदर 2. हर्रैया	17 60 योग–77 ग्राम	जिलाधिकारी बस्ती के पत्र संख्या–343/सी0आर0ए0/बस्ती, दिनांक 25.08.2017 में उल्लिखित गांव
20–	सिद्धार्थनगर	1. नौगढ 2. बांसी 3.डुमरियागंज 4. इटवा 5. शोहरतगढ	240 112 87 123 110 योग 672 ग्राम	जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या–2375/सात–भूलेख/2017–2018, दिनांक 24.08.2017 में उल्लिखित गांव

21–	संत कबीर नगर	1. खलीलाबाद 2. मेंहदावल 3. धनघटा	40 25 38 योग–103	जिलाधिकारी संत कबीरनगर के पत्र संख्या–1789/सी0आर0ए0, दिनांक 26.08.2017 में उल्लिखित गांव
22–	फर्रूखाबाद	1. सदर 2. कायमगंज 3. अमृतपुर	9 7 23 योग–39	जिलाधिकारी फर्रूखाबाद के पत्र संख्या–13/सी0आर0ए0–तीन–वि/दै0आ0–स्थगन/2017, दिनांक 26.08.2017 में उल्लिखित गांव
			कुल गॉव = 2966	

3– उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–157 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम–137(4) में उल्लिखित है कि राजस्व और किराये की वसूली को उस दिनांक से जिस पर वह देय होता है, से तीन माह से अधिक अवधि के लिए स्थगन हेतु राजस्व परिषद या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

4– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांकः 30.08.2017 में की गयी संस्तुति के अधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–157 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 के नियम–135 तथा 137 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तालिका में अंकित विवरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित 22 जनपदों की 66 तहसीलों के 2966 ग्रामों में कृषकों की फसलों को हुयी क्षति के दृष्टिगत राहत प्रदान करने हेतु भू–राजस्व के देयों की वसूली दिनांकः 31.03.2018 तक स्थगित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

5– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय एवं आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्याः 1335 (1)/एक–10–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3–निजी सचिव/प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 शासन।
4–स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ0प्र0।
5–निजी सचिव/प्रमुख सचिव एवं सचिव राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
6–समस्त मण्डलायुक्त (बाढ़ प्रभावित जनपद) उ0प्र0।
7–राजस्व अनुभाग–7/11
8–राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवी दास)
विशेष सचिव।